फर्द अहकाम

महावीरप्रसाद बनाम ग्राम पं० पावटा

न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली

संख्या 93/2019

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	23.12.19	अपीलान्ट व विपक्षी वकील अपील पेश की जिसे इर्ज चालेंज (विलम्ब) रेलोडेड किया तथा नकल कोर्ट जारी की। पत्रावली तारीख तामील दिनांक 26.12.19 को पेश हो।	
	26.12.19	पत्रावली पेश हो वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेलोडेड तरमीम 1 व 2 की तामील हुई जारी नकल तारीख पेशी होकर लम्बन पत्रावली किये जाने पर 20 तारीख अवकाश पर हो पत्रावली तारीख अपीलान्ट दिनांक 8.1.20 को पेश हो।	
	8.1.20	पत्रावली पेश हो वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेलोडेड की तामील हुई जारी नकल कोर्ट बाद तामील प्राप्त होने के उपरान्त भी रेलोडेड संख्या उपस्थित नहीं आये रही इनकी ओर से कोई अन्य उपस्थित आये इसलिए उनके विरुद्ध पहीन कार्यवाही अमल के लायक मानकर उपरोक्त में लिखा गया तथ्य इस आधार है कि अपीलान्ट का पट्टा संख्या 132 दिनांक 13.6.18 तथा संख्या 7(52) दिनांक 21.5.18 जारी किया ग्राम पंचायत पावटा तहसील कोटपूतली पावटा जिला जयपुर के रामकिशन के विरुद्ध अपील पेश की है वकील अपीलान्ट तथा अपील में वाक्ति बयान इस प्रकार पेश किये हैं कि अपीलान्ट के पक्ष में पट्टा संख्या 132 दिनांक 13.6.18 को तथा संख्या 7(52) जमीन 2.00 203.2 वर्गगज है जारी किया गया जिसकी हद हदूद उत्तर में 12 फीट का आम रास्ता दक्षिण में सड़क डोडाराम धाड़वा प्लाट है पूर्व में लक्ष्मण गोदारा का प्लाट पश्चिम में पट्टा डोडाराम का प्लाट है जिसे दिनांक पट्टा कार्यालय

शेष पन्ने पर

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		के वादित भूमि इमारतियों है यह अपीलान्ट की खरीदी हुई भूमि खसरा नं. 1371/0.57 के हिस्सा 169/5700 वाले मौजा पावटा तहसील पावटा साहिब सबके बाबत की भूमि है जो मौके पर आने वाहिब है यह पट्टा अपीलान्ट व रेस्पोंडेन्ट की मान्नीय सलाह से जारी हो गया है अपीलान्ट को उक्त तथ्यों की जानकारी नहीं थी व भूमि अपीलान्ट द्वारा आवंटी होने के अपीलान्ट द्वारा भूमि आवंटी होने से स्थित होने की वजह से पट्टे के वादित भूमि का पट्टा नहीं बनाने बाबत पंचायत के समक्ष आवेदन कर दिया उक्त भूमि के अपीलान्ट के कब्जा कब्जा है अपीलान्ट की मान्नीय सलाह से ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन कर दिया तथा रेस्पोंडेन्ट ने कई मामलों में पट्टा जारी कर दिया जो दोनों पक्षों की मान्नीय सलाह से उक्त पट्टा जारी कर दिया जबकि अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे बाबत की भूमि में पट्टे जारी करने का कोई अधिकार नहीं है इस कारण दोनों पक्षों की तथ्यों से भ्रम के कारण फर्जी पट्टे रजिस्टर किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। अपीलान्ट को रेस्पोंडेन्ट द्वारा उक्त गलत जारी पट्टे की जानकारी 5.12.19 को हुई इससे पूर्व जानकारी नहीं थी इसी को कन्फर्म कराने के लिए मजबूरन पर्याप्त प्रमाण-5 किया आधिपत्य का प्रमाण मजबूत है अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाकर अपीलान्ट के पक्ष में रेस्पोंडेन्ट ग्राम पं. पावटा द्वारा जारी पट्टा संख्या 132 संकल्प संख्या 7 (52) दिनांक 21.5.18 को पावटा के जारी पट्टा

Scanned with CamScanner

फर्द अहकाम

महावीर प्रसाद बनाम [illegible]

न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली

संख्या 93/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		13.6.18 को रजिस्टर फरमाना बाबो पंचायती का अवलोकन किया तथा पंचायती पर उपलब्ध साक्ष्य लिखित एवं प्राप्त इत्तलाकों का अवलोकन किया तथा वकील अपीलान्ट की बहस पुनीगत उक्त विवेचन पर पाया कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा पट्टा संख्या 132 पंचायत राज अधिनियम 1996 के नियम 57(1) महावीर प्रसाद यादव पुत्र रामावतार यादव निवासी बावड़ा जयपुर से संकल्प संख्या 7(57)/दिनांक 21.5.18 को पत्रावली में दिनांक 13.6.18 को 203.33 वर्गगज का पट्टा जारी होना पाया गया। जिसका पंजीयन भी पंजीयन रजिस्टर बावड़ा में कराया गया है अपीलान्ट की खसरा शुदा आराजी खातेदारी भूमि ख.नं. 1771/0.57 में मौजूदा प्रतिवेदक अपीलान्ट को रेस्पोंडेन्ट द्वारा उक्त पट्टा जारी होना वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया है वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त खातेदारी आराजी आबादी भूमि के समीप होने के पट्टे में वर्णित आराजी का पट्टा जारी कराने बाबत ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन कर दिया। उक्त आराजी मकानात भी बना होना वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया है अपीलान्ट द्वारा पट्टे जारी कराने बाबत आवेदन पत्र रेस्पोंडेन्ट के समक्ष पेश करने पर रेस्पोंडेन्ट द्वारा कर आवंटन के उक्त पट्टा संख्या 132 जारी कर दिया गया जो विधिविरुद्ध एवं न्याय संगत नहीं है। ग्राम पंचायत को किसी व्यक्ति की खातेदारी भूमि में आबादी भूमि का पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। बल्कि रेस्पोंडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के हक में इनकी खसरा शुदा खातेदारी आराजी ख.नं. 1771/0.57 में अपीलान्ट द्वारा पट्टा बाबत आवेदन करने पर उक्त पट्टा	

फर्द अहकाम

महावीर प्रसाद बनाम उ०प्र० के पावरा

नाम न्यायालय अति० जिला कलक्टर कोटपूतली

केस संख्या 93/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		धारा 132 पंचायत राज अधिनियम 1996 नियम 157(1) महावीर प्रसाद यादव पुत्र रामावतार यादव निवासी पावरा जयपुर के सेक्शन 7(52) दिनांक 21.5.18 को याचना के विरोध 13.6.18 को दर्ज जारी किये जो विधि से विपरीत है। इसलिए उक्त दर्ज अधिकार के अभाव के भारी किया गया है। जो अधिकार विहिन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्मत है। अतः रेस्पोंडेन्ट द्वारा भारी दर्ज को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दी गई अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली कोसल कुमार पोस्ट नम्बर से कम है। नियमानुसार निपटान कराया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)